



बड़े हों या छोटे

गरीब, अशक्त या हों बीमार आसानी से अब पहुँचेगी, बैंकिंग सुविधाएं सबके द्वार !



उत्तर प्रदेश के 1544 ग्राम पंचायतों में बी0सी0 सखी के रिकितयों के सापेक्ष

आवेदन का आभंत्रण

(रिक्त 1544 ग्राम पंचायतों की सूची www.upsrilm.org/vaccantgp वेबलिंक पर उपलब्ध है)

प्रायमिकता : जिस भी ग्राम पंचायतों में स्वयं सहायता समूह है, उनके सदस्यों को प्रायमिकता।

मोबाइल एप से आवेदन स्वीकार करने की अन्तिम तिथि : **26 अगस्त, 2023**

(उपरोक्त अवधि एवं सूचीबद्ध 1544 ग्राम पंचायतों से अन्यथा कोई भी आवेदन स्वीकार्य नहीं होगे)



बीसी0 सखी कॉरिंफोन्ड (बीसी) सखी क्या है-

- बीसी सखी रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया द्वारा संचालित बैंक, जिन्हें उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका निशान से सम्बद्ध किया गया है, जो अन्तर्गत ग्रामो-एटीएम को माध्यम से बैंकिंग सेवाएं देने में सक्षम।
- बी.सी. सखी का मुख्य कार्य ग्रामीणों तक बैंकिंग सेवाओं को पहुँचाना है।
- इससे नियमित लैन-देन सुगम होगी चालिक ग्रामीणों के काम-घर्षों में तेजी आएगी, समय और राशि भी बचत होगी।
- बी.सी. सखी के माध्यम से सरकारी रक्कीम-आधारित राहिसाही, ग्रजाहूरी का भुगतान इत्यादि में रकम की आसानी से निकासी सम्भव होगी।
- हर रात्रि की आर्थिक लैन-देन, बैंक खातों में जमा एवं निकासी, नए खाते खोलने जैसी सुविधाएं हर ग्रामीण तक पहुँचेगी।

बीसी सखी को लिए कौन आवेदन कर सकते हैं-

- ऐसी उद्यमी, गतिशील या मुहत्याकांक्षी महिलाएं जो स्वयं सहायता समूह की सदस्य हों।
- समाज के सभी वर्गों के प्रति सम्मान और विशेष कर उनके आर्थिक विकास के प्रति संवेदनशील हों, गरीब तथा विविध वर्गों के प्रति जिम्मेदार व प्रतिष्ठित हों।
- मोबाइल या टेक्नोलॉजी आधारित काम करने व सीधाने में लग्जिटेशन हों।
- न्यूनतम शिक्षा-10वीं उत्तीर्ण हो, उम्र-न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 50 वर्ष हो।
- आवेदिका उसी ग्राम पंचायत की रहने वाली हों जहां के लिए आवेदन कर रही हों।
- कार्य के सिलसिले में पूरे ग्राम पंचायत में इमरण करने, परों या व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में जाने के लिए तैयार हों।

बीसी सखी को लिए आवेदन कैसे करें -

- गूगल प्ले स्टोर से UP BCSakhi मोबाइल एप डाउनलोड करें।
- आवेदन करते समय स्वयं के मोबाइल फोन नम्बर ही डाले ताकि एसएमएस OTP द्वारा सही सत्यापन हो सके।
- सभी सवालों के इमानदारी से जवाब दें; गलत तथा या आमक उत्तर देने पर आवेदन स्वीकार्य नहीं किये जाएंगे।
- एक से ज्यादा बाट आवेदन न करें। ऐसी स्थिति में सभी आवेदन अस्वीकार किये जायेंगे।
- किसी भी असुविधा या जानकारी के लिए बीसी सखी कॉल सेटर पर फोन करें: 0522-2724611।



अस्वीकारीकरण: यान्त्र विकास विभाग व राज्य निशान ने इन आवेदनों के लिए किसी भी व्यक्ति या संस्था को सम्बद्ध नहीं किया है न ही किसी भी जगह स्वयं की व्यावस्था की है। अगर कोई भी व्यक्ति या संस्था ऐसा कोई दाया करते हैं तो वे सर्वदा अग्राम हैं।